क्रमांक 6639–3एस–76/24486

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी।

(2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा
हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक, चण्डीगढ़ 9 सितम्बर, 1976

विषय :—वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर रिपोर्ट की अवधि तथा रिपोर्ट लिखे जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम लिखने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 5158–3 एस–76/19330, दिनांक 21-7-1976 की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह सूचित किया गया था कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के प्रत्येक पृष्ठ पर रिपोर्ट लिखे जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम लिखा जाए। इस मामले पर और विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक से अधिक पृष्ठ पर लिखी जाती हैं उनके हर पृष्ठ पर संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी का नाम लिखने के साथ-साथ प्रत्येक पृष्ठ पर रिपोर्ट की अवधि लिखी जाए तथा रिपोर्ट लिखने वाले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर भी किये जाएं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन हिदायतों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में ला दें और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाता है।

भवदीय,

उप सचिव, सेवाएं एवं गृह,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

(1) वित्तायुक्त, हरियाणा।
(2) हरियाणा के सभी प्रसाशकीय सचिव।

हस्ताक्षर

उप-सचिव, सेवाएं एवं गृह,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त, हरियाणा।
(2) हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशा: क्रमांक 6639-3 एस-76/ दिनांक 9-9-76।

एक एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के सचिवों/निजी सचिवों को मुख्य मंत्री, मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को सूचना के लिए भेजी जाती है।

सेवा में

मुख्य मंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के प्रधान सचिव/
सचिवों/निजी सचिवों।

अशा0 क्रमांक 6639–3 एस–76, दिनांक 9-9-1976